

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

Endt.No.....^{R/5090}(Ele Act)/ Jabalpur, dated²⁸./09/2018
III-6-4/03 Pt.-VI

The copy of Notification no. 17(E)83/03/21-B(1)/4359/2018 dated 24-09-2018 issued u/s 153(1) & 153(2) of Electricity Act 2003 received from Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal, is forwarded to:-

01. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information
02. Deputy Controller, Government Central Press Arera Hills Bhopal-6 for Publication in the next issue of Madhya Pradesh Rajpatra.
03. The District and Sessions Judge,
04. District Judge, (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior.
05. The Special Court Notified under Section 153(1) & (2) of Electricity Act 2003.....
06. The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
07. Registrar (J-1)/(J-II)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(I & V)/ (A.W.) / (Examination and Labour Judiciary)/(I & V)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
08. P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordship,
09. P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination& ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. P.A. to Director/Additional Director MP State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Section Officer,Checker/Confidential/Work Section/Budget, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Computer Operator, Confidential Section , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
13. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

(VARUN PUNASE) ^{Varun Punase}
OSD(DE)



मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/09/2018

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/4359/018, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग-1 में, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 41 तथा 99 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	हरदा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	सिविल जिला हरदा का विद्युत क्षेत्र
99.	शिवपुरी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	करेरा का विद्युत क्षेत्र

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/4359/18, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 41 and 99 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

24 SEP 2018
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
O.S.D. (D.E.)
25/9/18
SO(Checker)

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"41.	Harda	II nd Additional Sessions Judge, Harda	Electricity area of Civil District, Harda
"99.	Shivpuri	II nd Additional Sessions Judge, Karera	Electricity area of Karera."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/4359/2018, भोपाल, दिनांक 24/09/2018
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. B/4557/III-6-4/03-IX, दिनांक 06.09.2018 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग



मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/09/2018

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/4359/018, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्य प्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 41 एवं 99 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:-

सारणी

स.क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	हरदा	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	श्री अरुण श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा
99.	शिवपुरी	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा, शिवपुरी "

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/4359/2018, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F.No.17(E) 83/03/21 -B (1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 41 and 99 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

24 SEP 2018
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

O.S.D. (D.E.)

25-9-18
50 (Meebo)

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	Harda	I ^{Ind} Additional Sessions Judge, Harda	Shri Arun Shrivastava, I ^{Ind} Additional Sessions Judge, Harda
99.	Shivpuri	II nd Additional Sessions Judge, Karera	Shri Atul Saxena, II nd Additional Sessions Judge, Karera, Shivpuri.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

✧ (सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/4359/2018, भोपाल, दिनांक 24/09/2018
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र B/4557/III-6-4/03-IX, दिनांक 06.09.2018 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केंद्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र भाग एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

✧ (रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग